राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
## (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....लाखेच..... दिनांक :– 02/09/23

### –:: आदेश ::–

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....लाखेच..... व भू–अभिलेख निरीक्षक ...रिसंपुर..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....सरोपा..... तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या ...315..... ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| | सरोपा | 315 | केसर बाई पत्नि मांगीलाल ब्राह्मण | केसरबाई पत्नि मांगीलाल ब्राह्मण |

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :– .....

क्रमांक / .....112.....

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, .....को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपार्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... की सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:23:52 IST
Reason: SelfAttested

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner